प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
(मा0कांशीरामनगर/चंदौली, छत्रपति साहू जी महराजनगर को छोड़कर)

पत्रांकः-61·0·61/बजट/2010-11 लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2011

विषयः- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रपुरोनिधानित SIPDA (Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act.) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या-355/65-3-2011-50/2010 दिनांक 26-2-2011 के क्रम में शासनादेश संख्या-447/65-3-2011-50/2010 दिनांक 17-3-2011 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा प्रदेश के कतिपय अन्य विभागों के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग के लिए रू0140.55 लाख (रू0एक करोड़ चालीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गयी है। आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गयी उक्त धनराशि रू0140.55 लाख (रू0एक करोड़ चालीस लाख पचपन हजार मात्र) इस पत्र के संलग्नक-1 के कालम-3 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है:-

1- स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिन कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है।

2- धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।

..2/-

5— शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन संबंधित विभाग में तैनात लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6— उक्त आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2010—11 के अनुदान संख्या—79 के लेखाशीर्षक "4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय—02—समाज कल्याण—आयोजनागत—101—विकलांग व्यक्तियों का कल्याण—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—0101—विकलांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा—1995 का कार्यान्वयन (के—100/रा—0—के)—24—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः— /बजट/2010—11 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0। (मान्यवर कांशीरामनगर/चंदौली, छत्रपति साहू जी महराजनगर को छोड़कर)
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/वित्त (बजट) अनुभाग—1, उ0प्र0शासन।
4— विशेष सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग—3, उ0प्र0शासन।
5— विकलांग कल्याण अनुभाग—2, उ0प्र0शासन।
6— निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।
8— नियोजन अनुभाग—3/राज्य योजना आयोग—1
9— कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10—गार्ड फाइल हेतु।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक G.0.61/बजट/2010–11 लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2011 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	
1	2	3	
1	मेरठ	203696	
2	गाजियाबाद	203696	
3	बुलन्दशहर	203696	
4	गौतमबुद्धनगर	203696	
5	बागपत	203696	
6	सहारनपुर	203696	
7	मुजफ्फरपुर	203696	
8	मुरादाबाद	203696	
9	बिजनौर	203696	
10	रामपुर	203696	
11	ज्योतिबाफूलेनगर	203696	
12	बरेली	203696	
13	बदायूँ	203696	
14	ाहजहाँपुर	203696	
15	पीलीभीत	203696	
16	आगरा	203696	
17	फिरोजाबाद	203696	
18	मैनपुरी	203696	
19	मथुरा	203696	
20	अलीगढ़	203696	
21	एटा	203696	
22	महामायानगर (हाथरस)	203696	
23	झाँसी	203696	
24	जालौन	203696	
25	ललितपुर	203696	
26	बांदा	203696	
27	हमीरपुर	203696	
28	महोबा	203696	
29	चित्रकूट	203696	
30	इलाहाबाद	203696	
31	फतेहपुर	203696	
32	प्रतापगढ़	203696	
33	कौशाम्बी	203696	
34	कानपुर नगर	203696	
35	कानपुर देहात	203696	
36	इटावा	203696	
37	फर्रुखाबाद	203696	
38	कन्नौज	203696	
39	औरेया	203696	
40	वाराणसी	203696	
41	गाजीपुर	203696	
42	जौनपुर	203696	
43	मिर्जापुर	203696	
44	सोनभद्र	203696	
45	सन्तरविदासनगर	203696	
46	लखनऊ	203695	
47	सीतापुर	203695	
48	उन्नाव	203695	
49	हरदोई	203695	
50	लखीमपुर खीरी	203695	
51	रायबरेली	203695	
52	गोरखपुर	203695	
53	देवरिया	203695	

54	कुशीनगर	203695	
55	महराजगंज	203695	
56	बस्ती	203695	
57	सिद्धार्थ नगर	203695	
58	संतकबीरनगर	203695	
59	आजमगढ़	203695	
60	मऊ	203695	
61	बलिया	203695	
62	फैजबाद	203695	
63	बाराबंकी	203695	
64	सुल्तानपुर	203695	
65	अम्बेडकरनगर	203695	
66	गोण्डा	203695	
67	बहराइच	203695	
68	बलरामपुर	203695	
69	श्रावस्ती	203695	
	योग	**14055000**	
		(रूपये एक करोड़ चालीस लाख पचपन हजार मात्र)	

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Go. 61/बजट/2011

संख्या–447/65–3–2011–50/2010

प्रेषक,

आर0एन0 उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. आयुक्त,
परिवहन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

3. आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विकलांग कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक 17 मार्च, 2011

विषय–निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रपुरोनिधानित SIPDA (Scheme for Implementation of persons with Disabilities Act.) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–355/65–3–2011–50/2010 दिनॉक 26 फरवरी, 2011 जिसके द्वारा सिपडा योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति, विकलांग कल्याण, राजस्व परिषद, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग की कार्य योजना के लिए रू0 6,53,26,000/–(रूपया छः करोड़ तिरपन लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए इसके व्यय की अनुमति दी गयी है।

2. उक्त शासनादेश दिनॉक 26 फरवरी, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा विभागवार स्वीकृत धनराशियों के सापेक्ष आगणनों के परीक्षणोपरान्त राजस्व परिषद के आगणन की रू0 158.70 लाख, ग्राम्य विकास के आगणन की रू0 140.55 लाख तथा परिवहन के आगणन की रू0 25.00 लाख मूल्यांकित की गयी है। मूल्यांकित धनराशि संबंधित विभागों को आवंटित की जानी है। तद्नुसार उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 6,53,26,000/–(रूपया छः करोड़ तिरपन लाख छब्बीस हजार मात्र) में से रू0 3,24,25,000/–(रू0 तीन करोड़ चौबीस लाख पच्चीस हजार मात्र) निम्नलिखित विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर तालिका–3 में अंकित धनराशि रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

क0सं0	विभागाध्यक्ष	स्वीकृत/मूल्यांकित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1	आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ	158.70
2	आयुक्त परिवहन उत्तर प्रदेश, लखनऊ	25.00
3	आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	140.55

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिन कार्यो हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा इसका उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जायेगा।

2. धनराशि के व्यय के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार के उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन संबंधित विभाग में तैनात लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदानसंख्या–79 के लेखा शीर्षक–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–02–समाज कल्याण–आयोजनागत–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–विकलांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा–1995 का कार्यान्वयन (के–100/रा–0–के)–24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–355/65–3–2011–50/2010 दिनॉक 26 फरवरी, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–587(क)/दस–11, दिनॉक 17 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या–447(1)/65–3–2011–तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, परिवहन, राजस्व तथा ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी,, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. कुलसचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3/वित्त (बजट) अनुभाग–1
6. नियोजन अनुभाग–3/राज्य योजना आयोग–1
7. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. विकलांग कल्याण अनुभाग–2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
अनुसचिव।

ग्रा०-142/38-2-11 358/38-6-11

संख्या–355/65–3–2011–50/2010

प्रेषक,

आर0 एन0 उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

SL-17

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग कल्याण, उ0प्र0
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

विकलांग कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 26 फरवरी, 2011

विषय:–निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के कियान्वयन हेतु केन्द्रपुरोनिधानित योजना SIPDA (Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act.) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

विकलांगजन को बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु शतप्रतिशत केन्द्र संचालित योजना SIPDA के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–16–34/2010–डीडी–III, दिनांक 04 जनवरी, 2011(प्रति संलग्न) द्वारा उच्चं शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, राजस्व परिषद, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग की कार्य योजनाओं हेतु कुल रू0 6,53,26,000 (रूपया छः करोड़ तिरपन लाख छब्बीस हजार मात्र) अवमुक्त की गयी है। इस कार्यकम हेतु चालू वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान न होने के कारण अनुदान संख्या–79 लेखा शीर्षक–4235–02–101–19–48 में हो रही बचतों में से पुनर्वियोग के माध्यम से (संलग्न बी0एम0 प्रपत्र–09) रू0 6,53,26,000 (रूपया छः करोड़ तिरपन लाख छब्बीस हजार मात्र) संलग्नक में उल्लिखित विभागों के सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित धनराशि के व्यय/उपयोग किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिन कार्यो हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(2) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा भारत सरकार के उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन संबंधित विभाग में तैनात लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–79 के लेखा शीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–02–समाज कल्याण–आयोजनागत–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये–0101–विकलांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा–1995 का कार्यान्वयन (के–100/रा–0–के) –24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा इसी अनुदान संख्या के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–02–समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–आयोजनागत–19–डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय–48–पूँजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान की बचतों से पुनर्वियोग के माध्यम से किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–380/दस–11 दिनांक 26, फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आर0 एन0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या– 355 (1)/65–3–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्राा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (बजट) अनुभाग–1
5–प्रमुख सचिव/सचिव,उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, रजस्व विभाग, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा ग्राम्य विकास विभाग।
6–नियोजन अनुभाग–3/राज्य योजना आयोग–1
7– विकलांग कलयाण अनुभाग–2
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
अनु सचिव।

No.16-34/2010-DD-III

Government of India

Ministry of Social Justice & Empowerment

***

Room No. 253, 'A' Wing

Shastri Bhavan, New Delhi-110 115

Dated the 04-01-2011

To

The Pay & Accounts Officer
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhavan, New Delhi.

Subject: Release of funds to the Government of Uttar Pradesh, Lucknow for creation of barrier-free environment and other facilities for persons with disabilities.

Sir,

With reference to the proposals of Government of Uttar Pradesh vide their letter No. 807/65-3-50/2010 dated 15-11-2010 regarding barrier-free built environment & websites for persons with disabilities in response to this Ministry's d.o. no. 16-13/2010-DD.III dated 29.9.2010, I am directed to convey the sanction of President of India to release of **Rs.6,53,26,000/- (Rupees Six Crores Fifty Three Lakhs Twenty Six Thousand only)** to the **Government of Uttar Pradesh, Lucknow** for creation of barrier-free environment and other facilities for persons with disabilities under the Scheme for Implementation of PWD Act, 1995 (SIPDA) as per the details given below:-

S. No.	Name of the Department	Name of the project	Amount (Rs. in lakhs)
1.	Higher Education Deptt.	i) MJF Ruhailkhand University, Barreily, for construction of ramp at entrance and PwD accessible toilets. – 08 ramps & 08 toilets	30.18
		ii) MJF Ruhailkhand University, Barreily, for preparation of "accessible" website - 01	03.80
		iii)Lucknow University – Construction of ramps- 11 ramps iv)Lucknow University – Construction of accessible toilets – 13 toilets	30.00
2.	Department of Culture	i) U.P. Sangeet Natak Academy – construction of toilet- 01 toilets	1.32
		ii) U.P. State Lalit Kala Academy, Lucknow – (a) for construction of ramp and accessible toilet (Kaisar Bagh, Lucknow)-01 toilets & 01 ramps (b) for construction of accessible toilet and Lift (Lok Kala Sanhralaya, Kaisar Bagh, Lucknow)- 01 toilet & 01 lift (8 passengers)	32.34

3.	Deptt. Of Disabled Welfare	i) Construction of barrier-free environment and other facilities (corridor and stair case and fixing of tiles) in Departmental schools / Koushal Vikas Kendra.(at ten different places) – Hand railing, special tiles room indicators and brail indicators – 20 corridors & stairs (255 rmt), 24 room indicators, 24 tiles (55 rmt) at one place ii) Construction of Ramp(at ten different places)-01 ramp at one place iii) Conversion of accessible Toilet. (at ten different places)-01 at one place iv) Provision of Brail system (at ten different places)4 at one places Places at - 5 schools /colleges at Lucknow, 1 at Gorakhpur, 1 at Bareily, 1 at Agra, 1 at Farukhabad, 1 at Allahbad	188.50
4.	Revenue Parishad, Lucknow	Conversion of one male and one female "accessible" toilets at the 69 Collectorate premises – 02-toilets in each Collectorate (138 toilets)	171.12
5..	Transport Department	Construction of ramp and lift at the Office of Transport Commissioner 01-ramp & 01- lift	25.00
6.	Health Department	Barrier free toilets for disabled in 20 Mandal Mukhyalaya	30.00
7.	Rural Dev. Deptt	Construction of ramps and conversion of accessible toilets in 69 Development buildings of the Pradesh	141.00

2. The above mentioned grant-in-aid shall be met from the Sanctioned Budget Grant of Ministry of Social Justice & Empowerment under Demand No 88-Major Head 3601:Grants-in-aid to the State Government; 03 – grants for central plan schemes; (Sub-Major Head); 359: Social Welfare - Welfare of Handicapped, (Minor Head); 03-Schemes for Implementation of Persons with Disabilities Act, 1995, 03.00.31 -- Grants-in-aids for the current financial year 2010-11(Plan).

3. It is requested that arrangement may kindly be made to credit this amount in the Bank Account in accordance with the procedure laid down in the Ministry of Finance O.M. 2(45)76-Spl.Cell dated 30.05.76 as modified vide their O.M. of even number dated 16.09.76, under information to this Section.

4. Certified that this sanction has been noted at Sl. No. 01 in Register of Grants (maintained in Form GFR-39).

Kumar 9/11/10

......p. 3/-

5. The Grants-in-aid will be regulated in accordance with the provisions contained in the General Financial Rules (GFR), 2005. The Grants-in-aid is also subject to the Chapter 9 of the General Financial Rules, 2005, as amended from time to time and read with the Government of India's decisions incorporated there-under, and any other guidelines which may be issued in this regard, and in particular to the following conditions: -

i) All relevant information and documents /certificates as required under GFR 2009 have been received.

ii) Certified that the pattern of assistance of rules governing such grants-in-aid have received the approval of the Ministry of Finance, as required under Govt. of India Decision No. (1) under DFPR-Rule 20.

iii) The accounts of the Govt. of Uttar Pradesh shall be open for audit by C&AG or by any person authorized by him on his behalf in accordance with the provisions laid down in Section 14 of the C&AG (DPC Act 1971) as amended from time to time.

iv) The Accounts of the Govt. of Uttar Pradesh shall be open for inspection by the Sanctioning Authority and Audit, both by any other Comptroller & Auditor General of India under the provision of C&AG (DPC Act, 1971) and Internal Audit by the Principal Accounts Office of the Ministry or Department whenever it is called upon to do so.

v) Grants-in-aid to the Govt. of Uttar Pradesh is subject to the economy instructions issued from time to time by the Ministry of Finance or by any other Competent Authority.

vi) (a) On completion of the work the Government of Uttar Pradesh will furnish an audited Utilization Certificate in the prescribed format i.e. GFR 19 A.
(b) The Government of Uttar Pradesh, Lucknow shall furnish to this Ministry monthly progress report on the project indicating both physical and financial progress report in relation to the approved project.
(c) The work has to be allotted as per terms and conditions laid down in General Financial Rules (GFR).
(d) The Utilization Certificate has to be submitted within 12 months of the release of funds along with report indicating the satisfactory progress of work.
(e) All other terms and conditions as laid down in GFR would be applicable.

vii) The Government of Uttar Pradesh, Lucknow will confirm that the conditions mentioned in the letter are acceptable to him and the Govt. of Uttar Pradesh exempted from executing the bond.

6. The funds allocated under this Scheme cannot be diverted to any other programmes without prior approval of Government of India.

7. Arrangement be made to credit the amount of Rs.6,53,26,000/- (Rupees Six Crores Fifty Three Lakhs Twenty Six Thousand only) through RBI advice to the Govt. of Uttar Pradesh in accordance with the procedure laid down in the Ministry of Finance O.M. No.2 (45)/76-Spl. Cell dated 30.08.1976 as modified vide O.M. of even number dated 16.09.1976 under intimation to this Section.

......p. 4/-

8. This sanction issues with the concurrence of Integrated Finance Division of Ministry of Social Justice and Empowerment vide their Dy. No. **1637/AS&FA/2010 dated 21-12-2010**.

Yours faithfully,

(S.K. Malik)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No: 011-2338 9368
Fax: 011-2338 4918

Copy for information and necessary action to:

1. The Chief Secretary/ Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow with the request to confirm acceptance of the terms and conditions of the sanction letter as mentioned in para 5(vi) on page 3.
2. Director of Audit, Central Revenues, IP Estate, New Delhi.
3. The Accountant General, Uttar Pradesh, Lucknow.
4. The Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, 6, Bhagwan Das Road, New Delhi.
5. IF Wing/Co-ordination Section/ Budget Section/ Bill Copy/Sanction folder.
6. D.D.O., Ministry of SJ&E, Shastri Bhawan, New Delhi.

(S.K. Malik)
Under Secretary to the Government of India